बिहार विधान सभा वादवृत।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार तिथि ९ जुलाई १९५२ को ११ बजे पुर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्पसूचना प्रश्नोत्तर।

Short notice questions and Answers.

CRIME WAVE IN DARBHANGA.

21. **Shri JADUNANDAN SAHAY:** Will the Chief Minister, be pleased to state—

(*a*) whether the attention of Government has been drawn to the news published in a local English Daily of 30th May 1952 under the caption "Crime wave in Darbhanga causing serious alarm";

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative whether Government have noted—

(*i*) that in Jhanjharpur village two persons were shot dead besides one who was wounded and expired in the Madhubani Hospital;

(*ii*) in village Gopalpur under Warisnagar Thana, dacoits decamped with properties worth one thousand rupees, killed with fire-arms three persons and inflicted gun shot injuries on five others;

(*c*) whether it is a fact that there have been numbers of disturbances in Warisnagar Thana (Samastipur Subdivision) during last 4 months and the people residing in that Thana have become very panicky;

(*d*) if the answers to the above clause be in the affirmative whether Government propose to take special and effective measures to stop such lawlessness and crimes particularly in Warisnagar Thana and to put on the table categorical list of crimes committed in the Warisnagar Thana during last four months?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: (*a*) The reply is in the affirmative.

(*b*) This relates to a serious armed dacoity in village Gopalpur, Warisnagar P.-S. on the night of 26th May 1952. About 25 dacoits, armed with three to four guns, attacked the house of Babulal Sahni and Batahu Sahni in the village, which is 8 miles from Warisnagar P.-S. They fired indiscriminately, as a result of which one person died on

आय-व्ययक : अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान :

BUDGET : SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS :

लैण्ड रेवेन्यु : कटौती-प्रस्ताव :

LAND REVENUE : CUT MOTIONS :

गवर्नमेन्ट एस्टेट्स का परिचालन—(क्रमशः)

MANAGEMENT OF GOVERNMENT ESTATES—(*Contd*).

श्री सुखदेव नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्णियां जिले में महाराज दरभंगा की जमींदारी है जो दो सप्ताह से सरकार के हाथ में आ गई है। वहां एक हाट लगता है जिसको वहां के सरकारी कर्मचारी ने भुवनेश्वर प्रसाद सिंह नामक व्यक्ति के हाथ २।। महीने के लिये ५०० रु० में ठीका दे दिया है। उस हाट की आमदनी १५० या १७५ रुपया थी और अब दुगुनी हो गयी है। इसके लिये जनता में काफी असंतोष है। जनता समझती थी कि सरकार के हाथ जमींदारी आने पर लोगों को तरह-तरह की सुविधा मिलेगी। लेकिन उससे लोगों की तकलीफ बढ़ गई है। इसके लिये लोग १,००० रुपया तक देने के लिये तैयार हैं जिसके निस्बत दरखास्त भी दी गई है। सरकारी कर्मचारी ने बिना इश्तेहार दिये ही बन्दोवस्ती कर दी। इस तरह की धांधली सरकार को रोकना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री बोकाय मंडल—अध्यक्ष महोदय, जमींदारी के प्रबन्ध के लिये ६० लाख रुपये की रकम रखी गयी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी रकम है। अगर एक तरीका अख्तियार किया जाय तो इसमें कम खर्च हो सकता है। जैसा कि कमलदेव बाबू ने कहा है, वसूली का काम ग्राम पंचायत को दे दिया जाय और उसकी आमदनी का अधिक भाग वहीं रखा जाय। पंचायत के जरिये से ही वहां की सड़क, शिक्षा और अस्पताल का प्रबन्ध किया जाय। धन का भी विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। आज ऐसा होता है कि खजाना का रुपया सबडिवीजन में जमा करते हैं और वहां से जिला में, जिला से कमिश्नरी में और तब प्रान्त की राजधानी में वह धन आता है। इसके बाद यहां से एलोटमेंट सेंकशन होता है और तब वह धीरे-धीरे वहां पहुंचता है और खर्च होता है। इस तरह खर्च में आधा भाग चला जाता है। यही वजह है कि हम जनता की भलाई नहीं कर पाते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो सरकार मदद करती है वह भी वहीं से लेकर दें। ऐसा करने से वसूली के काम में सुविधा होगी और पंचायत को भी काम करने में प्रोत्साहन मिलेगा और वहां का प्रबन्ध भी अच्छी तरह से चल सकेगा।

श्री अनाथ कान्त बसु—अध्यक्ष महोदय, मैं कमलदेव बाबू के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी जो स्टेट अपने मैनेजमेंट में लिया है वार्डस् स्टेट जैसे उसमें भी वसूली का काम संतोषजनक नहीं है। पूर्णिया जिले में जो खगड़ा वार्ड्स स्टेट है वहां रोड सेस सरकार द्वारा वसूल किया जाता है परन्तु ठीक तरह से वसूली नहीं होती जिससे वार्ड्स स्टेट का रोड सेस बहुत बाकी है। यह तो वार्ड्स स्टेट की हालत है। जब सरकार समूचे प्रान्त के स्टेटों को अपने हाथ में ले रही है और वसूली का काम पहले ही जैसा हुआ तो काम नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो ग्रांट मिलता है उसमें गड़बड़ी होगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार ऐसा प्रबन्ध करे जिससे सेस ठीक से वसूल हो और समय पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को रुपया मिले।

*श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब एक माननीय सदस्य
राजस्व मंत्री की प्रशंसा कर रहे थे, तब मेरे मन में भी हुआ कि मैं उनके सुर में सुर
मिलाकर कहूँ कि राजस्व मंत्री प्रशंसा के योग्य हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्व
मंत्री ने इतिहास बनाया है। He has made history. "History
shrivels before the will of man" इतिहास नरपुङ्गव के सामने
थर्राता है। राजस्व मंत्री जी ने बिहार के इतिहास में एक सुनहला
पन्ना जोड़ा है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन दूसरा कदम क्या है?
ह्वाट नेक्स्ट? आप जिस मैशिनरी से काम ले रहे हैं वह बराबर निकम्मी रही है।
जिस मैशिनरी ने जमीन्दारों को बदनाम किया, उसीसे आप काम ले रहे हैं। कहीं
आपका हाल उस महंथ के ऐसा तो नहीं हुआ? कहानी यों है कि "एक महंथ जी
बहुत ही गुलछर्री उड़ाया करते थे, उनपर एक दूसरे महंथ ने धावा बोल दिया।
कवल के महंथ ने अपनी टंगी हुई झोली उतार ली और यह कहता हुआ रवाना
हुआ कि इतना दिन तक हमने घोंटा अब तुम घोंटो।" जो हालत अढ़ैया लाल की थी,
अगर वहीं पसेरी लाल की भी हुई तो बात क्या बनी? नागनाथ वो सांप नाथ
में क्या फरक? मैं जानता हूं कि आपकी नीयत अच्छी है। लेकिन पायस विश, पवित्र
इच्छा, से काम नहीं चलता। एक पेशावरी कहावत है कि अगर खाहिश घोड़ा होता
तो सब कोई सवार हो जाता। इसलिये चौकन्ना रहने की जरूरत है। नहीं तो इतने
जमीन्दारों को सम्पत्तिहीन बनाकर क्या लाभ हुआ? इतने बलिदान बेकार गये।
इसके बाद जो हमारा कार्य है वह है गांवों को आगे बढ़ाना। गांधी जी बराबर कहा
करते थे कि गांव के चित्र पर यह लिखा रहना चाहिये कि अगर कहीं स्वर्ग है तो
यहीं है, यहीं है।

"गर फिरदौस बररूए जमिनस्त
हमीनस्तो, हमीनस्तो, हमीनस्त।"

अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यही है, यही है। अगर हम गांवों को
स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो गांवों की जो समस्यायें हैं उनको हल करना होगा।
उन समस्यायों में से जो क्रुक्स औफ दि प्रौबलेम है, वह है गांव का यातायात।
गांव की सांस्कृतिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और आर्थिक नीति का आधार यातायात है।
कम्युनिकेशन किसी राष्ट्र की आर्टरीज ऐन्ड वेन्स है। राष्ट्र की अंतड़ी एवं नस होता
है। आज गांव के लोग, पददलित, लांछित एवं अपमानित हैं। सदन के सदस्यों
का गत चुनाव में अनुभव हुआ होगा कि गांव के लोगों की मांग सर्वप्रथम गांव के
रास्ते के लिए ही था। गांधी जी बराबर कहा करते थे कि गांव के लोग शहरवाले
के लिये मर गये। यद्यपि उनका बलिदान अनविलिंगली और अननोइंगली हुआ लेकिन
उसका बदला तो जब हम दे सकते हैं कि हम उनके लिये जानबूझ कर मिट जायं
जिससे उनका कल्याण हो। गांव में रास्ते की बड़ी कमी है किसी राष्ट्र के अभ्युदय का
चिन्ह उनका रोड होता है। एक अमेरिकन ने लिखा है कि अगर किसी राष्ट्र के उन्नति
का आपको पता लगाना हो तो आप उनके गिरजाघर को देखिये, उनके कैथेड्रल को
देखिये, उनके विश्वविद्यालय को देखिये और सबसे अच्छा पता तो आपको तब चलेगा
कि जब आप उनके सड़कों को देखियेगा। सड़क सिम्बौल औफ प्रौग्रेस है। सड़क राष्ट्र
का हृदय है। सड़क के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हमारे यहां सड़क केवल २,४०,०००
मील है जब कि अमेरिका के जंगल की सड़क इससे ज्यादा है। हम जितना भी मेजर्स

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

पास करें गांवों के लोगों को खबर नहीं होती। पब्लिसिटी वैन भी सड़कों पर फेरी लगाकर लौट आते हैं। गांवों में जा नहीं पाते। अगर आप चाहते ह कि गांव में नई जिन्दगी लायें, गांव को आगे बढ़ायें, तो सबसे पहले आप गांव में सड़क दीजिये। इंगलेंड से जो एग्रिकल्चर कमीशन आया था उसने भी सिफारिश की थी कि हिन्दुस्तान के गांवों में सड़क का अभाव है जो उनके प्रगति में बड़ा बाधक है। इन शब्दों के साथ में राजस्व मंत्री से सिफारिश करता हूं कि गांवों में यातायात का अविलम्ब प्रबन्ध किया जाय।

*श्री नन्दकिशोर नारायण—अध्यक्ष महोदय, सरकार इस संबंध में जो खर्च करने जा रही है और उस संबंध में जो भाषण हुये हैं उनसे पता चलता है कि करीब करीब सभी सदस्यों ने यह जानने की इच्छा प्रकट की है कि किस तरह लगान वसूली की जायगी और क्या लैंड रिफोर्म्स किये जायेंगे। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि ग्राम पंचायत के जिम्मे लगान वसूली का काम दिया जाय। जहां तक वसूली का सरोकार है मैं इसका विरोध नहीं करता चूंकि ऐक्ट में इसका प्रोविजन है। लेकिन मैं यह पसन्द नहीं करता कि लगान वसूली का काम केवल ग्राम पंचायत को दिया जाय। और वह भी प्रारम्भ में। जहां तक मैं समझता हूं कि यह काम आसान नहीं है। हमारे साथी लोग जो जमीन्दारी के काम में दक्ष हैं वे जानते हैं कि जमीन्दारी के कागजात को ठीक रखने और उनकी व्यवस्था करने में कितनी दिक्कत होती है। सरकार ने कोई स्कीम हमारे सामने ऐसी नहीं रखी है जिससे यह पता चले कि लैंड रिफोर्म्स का क्या नक्शा होगा, किस एजेन्सी के जरिये आप यह काम करने जा रहे हैं। कभी सुनने में आता है कि आप जमीन्दारों के आदमी को रखेंगे। कभी सुना जाता है कि कर्मचारी लोग जो पहले से हैं वही रखें जायंगे। इस से मुझे आशंका होती है—इसलिये कि कर्मचारी जो रखे गये हैं उन्हें लगान की वसूली या जमीन्दारी के कागजात को ठीक से रखने की ट्रेनिंग नहीं दी गयी है। इसके लिये लगान वसूल बाकी का हिसाब 'सर्वे' अमानत जानना बहुत जरूरी है। जब से जमीन्दारी टूटने की बात हुई गांव में जो गैर मजरूआ आम जमीन थी उसको जमीन्दारों ने बन्दोबस्त कर दिया जिससे आम रास्ता भी नहीं रहा। कर्मचारी यह ठीक जानते भी नहीं हैं कि गैर मजरूआ आम जमीन क्या ह और खास क्या है हम समझते हे कि खास महाल और कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जो कागजात मेनटेन किये जाते हैं वह उतने आसान नहीं हैं कि स्कूल के विद्यार्थियों को बहाल कर देने से काम चल जायेगा।

इसके लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत है। पहले कहीं-कहीं अमानत की ट्रेनिंग दी जाती थी मगर उसे बन्द कर दिया गया। जमीन्दारी का काम उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। यह ठीक बात है और जैसा कि हमारे ब्रह्मदेव बाबू ने कहा है, हम एक कदम आगे बढ़े हैं और जमींदारी के उठने पर लोगों को बड़ी खुशी है लेकिन जबतक ठीक तरह से इसकी व्यवस्था नहीं हो जाती असली खुशी नहीं होगी। यह भी हम मानते हैं कि शुरू में किसी काम को करने में कुछ कठिनाई होती है, मगर हमलोगों को उससे घबड़ाना नहीं चाहिये। धीरे-धीरे सब ठीक हो जायगा।

रेन्ट वसूली में भी पहले जमीन्दार लोग २-४ वर्ष तक किसी रैयत को छोड़ दिया करते थे मगर अब सरकार तो ४ आना ८ आना की किस्त भी कड़ाई से वसूल करेगी। कितने लोग आम जनता को यह कह-कह कर गुमराह कर रहे हैं कि जमींदारी उठने से लोगों को मालगुजारी में छूट मिलेगी। जो इस तरह की बात

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

समझते हैं वे खुद गुमराह हैं। अभी बहुत-सी जगहों में मालगुजारी बिना सर्वे कराये ठीक से वसूल नहीं हो सकती। दरिया के किनारे और दुआब में किसकी कितनी जमीन है और कितना लगान लगता है बिना सर्वे कराये पता नहीं चलेगा। अभी भी कोर्ट्स आफ वार्डस और खास महाल में बहुत ऐसी जमीनें हैं जहां की मालगुजारी सरकारी खजाने में नहीं आती। इसके लिये सर्वे कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावे जब आप किसानों से सेस वसूल करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ग्रान्ट देने के अलावे इसे भी देखना होगा कि विलेज रोड्स को कैसे मेनटेन किया जाय। इसके बाद लगान और वसूली में भी इस बात का ख्याल करना होगा कि लोगों को हरास नहीं किया जाय; वर्ना वे समझेंगे कि छोटे जमींदार के हाथ से निकलकर एक बड़े जमींदार के हाथ में चले आये हैं।

अध्यक्ष—इन सब बातों पर और माननीय सदस्य बोल चुके हैं। आप कोई नयी बात कहिये।

श्री नन्दकिशोर नारायण—अब मैं नयी बात कह रहा हूँ। लैंड रिफौर्म्स ऐक्ट में लैंड रिफौर्म्स कमीशन बहाल करने की बात है। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि हर जिले में एक लैंड रिफौर्म्स कमिटी बहाल होनी चाहिए जिसका काम सरकार के हाथ में आई हुई जमीन की व्यवस्था, लगान वसूली और लोगों की तकलीफ पर विचार करने का हो और जो लोगो को राहत पहुंचाने के लिये सरकार के सामने सुझाव रखे। कितने अनइकोनौमिक होल्डिंग होंगे उनपर भी विचार करना और उन रैयतों को कितना छूट मिले, इसकी सिफारिश करना भी उसीका काम होना चाहिये।

इसके बाद यह कहा जाता है कि जमींदारी का इन्तजाम ग्राम पंचायत के जिम्मे कर दिया जाय। अभी ग्राम सेवक को इसके लिये नेसेसरी ट्रेनिंग नहीं है और ग्राम पंचायत के हाथ में बहुत काम है। इसलिये इस काम को भी उसके सुपुर्द कर देने से ठीक काम नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि एक ग्राम सेवक इस काम को नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि इसके लिये स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है और इस ट्रेनिंग को देने के लिये हर जिले में व्यवस्था होनी चाहिए। अभी जमींदार लोगों के जो एग्जिसटिंग स्टाफ हैं उनसे काम लीजिये मगर हर जिले में एक ट्रेनिंग सेन्टर कायम होना चाहिए जहां उनको ट्रेनिंग मिले। ऐसा नहीं होने से लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी और यह सरकार भी बदनाम हो जायगी। इसके अलावे आप जब गांववालों से १॥ आ० या २ आ० फी रुपया रोड सेस लेंगे तो इसका भी ख्याल रखना होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ग्रान्ट देने के अलावे विलेज रोड्स का भी रिपेयर्स हो जिसमें वहां के लोगों को मार्केटिंग फैसिलिटीज मिले और उनकी हालत अच्छी हो।

अध्यक्ष—अब आपको आइटेम नं० ४ पर बोलना चाहिये।

श्री नन्दकिशोर नारायण—जी हां। अब मैं उसी पर आता हूँ। सरकार वर्क्स आफ बेनिफिट पर ४२ लाख रुपये खर्च करने जा रही है और मैं उसे इसके लिये धन्यवाद देता हूँ। हिसाब से यह रकम कुल का छठवां हिस्सा है। पहले भी आठवां हिस्सा मालगुजारी का इस मद में खर्च किया जाता था। यह एक अच्छा सिद्धान्त है। कैसे खर्च किया जाय, इसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि बड़ी-बड़ी स्कीमों के लिये उसके पास पैसा नहीं है। गंडक योजना को कौन कहे कोशी योजना भी केन्द्रीय सरकार की मदद के भरोसे ही ली जायगी।

श्री रामचरित्र सिंह—हमलोगों को पैसे की कमी नहीं है।

श्री नन्दकिशोर नारायण—कभी आप कहते हैं कि पैसा नहीं है और कभी कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है। ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को तीन तरह की मदद की जरूरत है और सरकार को इनमें खर्च करना चाहिए।

गांव की सड़कों की व्यवस्था अच्छी तरह होनी चाहिए। पैदावार बढ़ाने के लिये पानी की जरूरत है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। किसानों के बच्चे तथा एडल्ट लोगों को स्पेयर टाइम्स में ऐसी शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिए जिससे वे खेती में फायदा उठा सकें; उनको स्कूली शिक्षा न दी जाय।

अध्यक्ष—जो जमींदारों की तरफ से स्कूल खूले हैं, उनको क्या उठा दिया जाय?

श्री नन्दकिशोर नारायण—जी नहीं, उन स्कूलों में भी ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे किसान अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। सरकार एक ऐसा फंड क्रीएट करे जिससे किसानों को इंप्रूवड मेथड्स आफ कल्टिवेशन को इंप्लीमेंट करने में मदद मिल सके। एक सर्किल या हेडक्वार्टर्स कायम होना चाहिये जहां ट्रैक्टर्स वगैरह रहें और किसानों को ये आसानी से मिल सकें।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य यह बतावें कि सरकार कितना परसेंट खेती में, शिक्षा में, अस्पताल में तथा और मदों में खर्च करे।

श्री नन्दकिशोर नारायण—सरकार एक कमिटी बनावे, जिसमें खुद सभी लोगों के साथ मिलकर डिसकस करे और एक डिटेल्ड स्कीम बनावे जिससे लोगों को यह मालूम हो जाय कि सरकार की लैंड डिस्ट्रिब्युशन रेंट रियलिजेशन तथा दूसरी पालिसी किस तरह की है और दूसरी स्कीम जो सरकार बना रही है, उसमें कितना परसेन्ट किस काम में खर्च किया जा रहा है। आप एक फंड बनावें, जिसका ५० प्रतिशत सींचाई में खर्च करे, १० प्रतिशत बिग प्रोजेक्ट में खर्च करें, १० प्रतिशत एजूकेशन में खर्च करें। आप हाउस को मौका दीजिए ताकि लोग डिसकस कर सकें कि आप क्या कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों को अभी आप कोई काम न सौंपें क्योंकि वे ठीक तरह से औरगनाइज्ड नहीं हैं।

श्री सुदामा मिश्र—अध्यक्ष महोदय, जमींदारी खतम करके हमलोगों ने लैंड रिफोर्मस की तरफ पहला कदम उठाया है और बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया है। लेकिन इतने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं बेतिया राज तथा चम्पारण के लैंड रिफोर्म्स के संबंध में अपना कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि लैंड रिफोर्म्स के संबंध में हमलोगों ने मेरठ कांग्रेस के समय और अन्य समय भी यह रिजोलूशन पास किया है कि रैयतों और किसानों की हालत सुधारने के लिये लैंड रिफोर्म्स करें। मैं समझता हूँ कि बेतिया राज के पास जो चम्पारण के अन्दर है और जिसको गवर्नमेन्ट बहुत जल्दी लेने जा रही है उस जमीन की बन्दोबस्ती के लिये एक कमिटी कायम की जाय जो जमीन की बन्दोबस्ती उसी किसान के साथ करे जिसको कलेक्टिव फार्मिंग के आधार पर खेती करना कबूल हो। इस तरह करने से जमीन की पैदावार बढ़ेगी और हम लोग जमीन सुधार की तरफ कदम बढ़ा सकेंगे।

अध्यक्ष——कलेक्टिव फ़ार्मिंग क्या है उसे आप बतला दें।

श्री सुदामा मिश्र——कलेक्टिव फ़ार्मिंग मेरे ख्याल में वही है जिसमें १०, २०, ५० किसान जिनके पास थोड़ी जमीन, जैसे १०——२० एकड़ है, उसको सम्मिलित प्रयास से जमीन आबाद करेंगे और जो आमदनी होगी उसको आपस में अपनी जमीन के अनुपात के अनुसार बटवारा करेंगे। इस तरह जितना साधारण तरह से पैदा कर सकते हैं उससे ज्यादा पैदा करेंगे।

श्री राम चरित्र सिंह——आप को-ऑपरेटिव फार्मिंग चाहते हैं या कलेक्टिव फ़ार्मिंग ?

श्री सुदामा मिश्र——कलेक्टिव फ़ार्मिंग या को-ऑपरेटिव फ़ार्मिंग जो भी हो मेरा ख्याल है व्यवस्था इसी तरह की होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं यह भी चाहता हूं कि इसके लिए गवर्नमेंट कुछ फंड का प्रौविज़न करे जिससे जो जमीन जंगल वगैरह में हो उनको रिक्लेम किया जाय और आबाद करने के लिए उसको फ़ाइनेंस किया जाय और इरिगेशन का भी प्रबंध होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि बेतिया राज की तरफ से बहुत से इंस्टिच्यूशन्स का इंतजाम होता आया है जो आजकल जमींदारी उन्मूलन की वजह से खराब हालत में हैं। इसी वजह से बेतिया राज के बहुत से मकानात भी खराब हालत में हैं। बरसात में वह चू रहे हैं और गिर रहे हैं। बेतिया राज समझता है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार इनको ले लेगी, इसलिए उनकी तरफ ख्याल नहीं करता। मेरा सुझाव है कि सरकार उनको बचाने की कोशिश करे और जिन संस्थाओं का इंतजाम बेतिया राज की तरफ से होता आ रहा है उनका इंतजाम खुद करे।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय——मिसाल ?

श्री सुदामा मिश्र——मिसाल के तौर पर——बेतिया में एक हाई स्कूल ऐसा था जिसका १६ आना इंतजाम राज की तरफ से होता था। उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि बेतिया राज के टिनैन्ट्स को पढ़ने के लिये कम फीस लगती थी; लेकिन जब से हमलोग पावर में आए हैं राज टिनैन्ट्स को कोई कंसेशन नहीं है। स्कूल की हालत ऐसी खराब है कि बहुत से शिक्षक स्कूल को छोड़ कर बाहर दूसरे स्कूलों में चले गए क्योंकि यहां मुशाहरा कम्पेयरेटिवली और स्कूलों से बहुत कम है। होस्टल की भी हालत बहुत ख़राब है। स्कूल की इमारत कडेम्ड हो गई लेकिन आज तक नहीं बनाई गई। लड़कों के रहने के लिए जगह नहीं है, होस्टल में आजकल पढ़ाई होती है और लड़के रसोईघरों के अन्दर रहते हैं। इस तरह का कुप्रबंध जमींदारी उन्मूलन की वजह से हुआ है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार इन संस्थाओं की तरफ ध्यान दे और उनको बचाने की कोशिश करे। मैं समझता हूं हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हाल में ही चम्पारन जाने वाले हैं। उन संस्थाओं को स्वयं देखें तथा उनकी हालत में सुधार लाने की कोशिश करें।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, अभी जितनी बातें हुई हैं पहले भी हो चुकी हैं। इस लिए बहुत विस्तार में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे दोस्त सुखदेव बाबू ने कहा कि एक कर्मचारी ने एक हाट बेच दिया। तो बात ठीक है, अगर यही रवैया रहा जमींदारी उन्मूलन के बाद तो काम नहीं चलेगा। लेकिन हमारी शिकायत उनसे यह है कि आपने यह खबर किस आधार पर दी? आपने कहा कुछ लोगों ने दर्खास्त दी। मैं कहता हूं जब तक आप खुद इसकी जांच नहीं कर लेते, तब तक असेम्बली में इस तरह की बात की कोई कीमत नहीं। गवर्नमेंट ने कहा है कि गजेटेड ऑफ़िसर ऑक्शन करेंगे और तब हाट बेचा जायगा। इसके बरखिलाफ हम कुछ लोगों की बातों का यकीन कर लें यही हमारा दोष है। हमको इसका यक़ीन नहीं करना चाहिए।

अनाथ बाबू ने कहा कि जमींदारों के पुराने नौकरों को मुकर्रर करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री अनाथ कान्त बोस—हमने यह कहा था कि वार्ड्स स्टेट्स टिनैन्ट्स से रेंट कलेक्सन्स होता है, सेस नहीं होता।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—सेस के बारे में हमने प्रौविज़न कर दिया है कि २१ लाख जो आपका जमींदारी से पावना है वह हम दे देंगे। बिहार के बजट में यह आपका ग़ैरेन्टीड एमाउन्ट हो गया।

नन्दकिशोर बाबू ने कहा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जमींदारी काम की ट्रेनिंग नहीं है। मुझको उनकी बातों से आश्चर्य होता है। एक जगह कहते हैं जमींदारों के पुराने नौकरों को क्यों रखते हैं और नए काम के लायक नहीं।

श्री नन्द किशोर नारायण—मैं पर्सनल एक्सप्लानेशन पर.........।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—जी नहीं, पर्सनल एक्सप्लानेशन की बात यहां नहीं है। हमारे सरकारी नौकर तीन वर्ष से जमींदारी उन्मूलन का नमक खा रहे हैं और वह काम सीख गए।

श्री त्रिवेणी कुमार—काम नहीं किया तो सीख कैसे गए?

श्री बसंत नारायण सिंह—थियोरी में।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—सेक्सन ९९ ऑफ़ दि सेस ऐक्ट की हमने हर जगह ट्रेनिंग दी है कि जमींदारी में कैसे वसूली हो।

श्री बसंत नारायण सिंह—कितनी वसूली हुई?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—आपकी जमींदारी में करीब ८० हजार। आपकी जमींदारी में सीखने का मौका मिला है। इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि उनकी ट्रेनिंग

नहीं हुई। हमने कर्मचारियों को एक जगह जमा करके थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी दी है। यह ठीक है कि जितने घाँघ पुराने नौकर जमींदारों के हैं उतना वे नहीं जानते हैं। मगर वहुत सी बातें वह उनकी नहीं जानें वही अच्छा है। मैं और अधिक इस संबंध में नहीं कहना चाहता हूं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जमींदारी के काम के लिए शिड्यूल १ में ३ कोर्स दिया है। जमींदारों को ऐड इंटेरिम पेमेन्ट ३६ लाख है अगर वह अपना कोऑपरेशन गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरह देंगे, यानी कागज वगैरह देने में हमको मदद देंगे तब कौस्ट ऑफ़ मैनेजमेंट २७ लाख है। यानी यही ६३ लाख गवर्नमेंट के काम में नहीं आता है। बाकी ३ करोड़ में, ऐग्रिकल्चुरल इन्कम टैक्स आपका, लैंड रेवेन्यू आपका, स्टैंप्स आपका, रेजिस्ट्रेशन आपका। पेमेन्ट ऑफ़ सेस टू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आपका, पेमेन्ट फ़ौर बेनिफ़िट्स टू दि टिनैन्ट्स आपका और बाकी ३३ लाख रुपये आपके। अभी तीन महीने जमींदारी उन्मूलन के वृक्ष को लगाये हुए और आपको फल मिलने लगे। सिर्फ इसी एक कारण से यह मांग मंजूर कर लेना चाहिए।

राज के अस्पतालों और स्कूलों का भी जिक्र बराबर किया जाता है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैंने यह आदेश दे दिया है कि जितने स्कूल और अस्पताल पुराने जमींदारों के द्वारा चलाये जाते थे वे सब अभी सरकार द्वारा चलाये जायेंगे और इसके लिए हमने कमिश्नर के पास फंड्स दे दिया है। यानी, अभी स्टेटसक्वो मेनटेन किया जायगा। लेकिन यह भी सही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट न स्कूल चला सकती है और न अस्पताल चला सकती है। इसलिए मेडिकल डिपार्टमेन्ट और एजूकेशन डिपार्टमेन्ट से यह सल्लाह की जायगी कि इन संस्थाओं को किस प्रकार चलाया जाय। मीनव्हाइल सभी अस्पताल और स्कूल सरकारी खर्च पर चलते रहेंगे।

Shri KRISHNA GOPAL DAS: From what head will this expenditure be met?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: Out of the head "benefits to tenants."

Shri KRISHNA GOPAL DAS: What will be the expenditure involved?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: I can't say at this stage.

श्री कमलदेव नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो-जो बातें कही थीं उनका उत्तर मुझे नहीं मिला। एक आवश्यक बात जो मैंने कही थी वह यह थी कि मालगुजारी वसूल करने का काम आप ग्राम पंचायतों को दें। ऐसा करने से किसानों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा और आसानी से मालगुजारी वसूल हो सकेगी। जो लोग मालगुजारी नहीं देंगे, उनके खेलाफ ग्राम पंचायत रिपोर्ट करेगी और तब सर्टिफ़िकेट के जरिए उनसे मालगुजारी वसूल की जायगी।

अध्यक्ष—आप पुरानी बातें नहीं दोहरा सकते हैं।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—मैं इस प्वाएन्ट पर सरकार की राय जानना चाहता हूं।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत के विषय में मैं कह चुका हूं कि मेरी नीयत है कि मालगुजारी वसूल करने के काम में ग्राम पंचायत का इस्तामाल अधिक से अधिक हो, लेकिन साथ ही साथ मुझे दिक्कत भी है। आप चाहते हैं कि एलेक्टेड मुखिया हो, लेकिन मेरी दिक्कत है कि यदि वह काफी सेक्युरिटी नहीं दे सकता तो हम उसको मालगुजारी वसूल करने का काम कैसे सौंप सकते हैं?

श्री कपिलदेव नारायण सिंह—मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

(Opposed by Shri Ramanand Tiwari.)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

The provision of Rs. 90,00,000 for "Management of Government Estates" be reduced by Re. 1.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(अवकाश)।

(इस समय उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

गवर्नमेंट द्वारा छोटी जमीन्दारियों का लिया जाना।

TAKING OVER OF SMALL ZAMINDARIS BY GOVERNMENT.

श्री विवेकानन्द गिरी—

I beg to move:

That the provision of Rs. 90,00,000 for "Management of Government Estates, etc." be reduced by Re. 1.

(To discuss the desirability of taking over by Government the small Zamindaris lying in the pockets of estates with gross annual income exceeding Rs. 50,000.)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी देखने में आ रहा है कि हमारी सरकार अपने पूर्व निश्चय के अनुसार ५० हजार से अधिक आमदनी वाली जमीन्दारियों को ले रही है।

सरकार को पता होगा कि कथित जमीन्दारों का हिस्सा विभिन्न ग्रामों में आना और गंडा में भी है।

सरकार को यह भी मालूम है कि एक ग्राम में एक से अधिक तौजी है और सरकार किसी एक तौजी के हिस्से को ले रही है।

सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि बड़ी जमीन्दारियों के दायरे में पड़ने वाले छोटे जमीन्दारों की जमीन्दारी को भी लेने की तजवीज सोची जा रही है। परन्तु इस दिशा में कोई कदम उठाये गये हैं कि नहीं देखने में नहीं आता।